

10.03.2023

पत्रावली पेश हुई । वाद पुकारा गया। अभियुक्त असरफ की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत। सुना। स्वीकार। अभियुक्तगण युसुफ व युनूस हाजिर नहीं। अभियुक्तगण युसुफ व युनूस के विरुद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजरी हेतु दिनांक 10.05.2023 को पेश हो।

अनीता गुंज्याल
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।